कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र.लोक निर्माण विभाग,"निर्माण भवन"अरेरा हिल्स भोपाल
website : www.mppwd.gov.in email: pwdbhop@mp.nic.in
email: eincmppwd@gmail.com
Ph:0755-2551316, Fax:0755-2556527

क्रमांक :- 303/022/2017/501 भोपाल दिनांक :-28/3/2017

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग

विषय :- विभाग मे कर्मचारियों की नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने बावत्।

संदर्भ :- म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्र. 288/636/1(3)/79 दिनांक 6.6.1979 (एनेक्सर-1)

-0-

1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 के अनुसार किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने एवं यह परिवीक्षा अवधि अधिकतम एक वर्ष तक बढाने का प्रावधान हैं। इसी नियम के 8(6) के अनुसार सफलता पूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उपलब्ध स्थाई पद पर स्थाई किए जाने एवं स्थाई उपलब्ध न होने की दशा में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने का प्रावधान हैं कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थाई कर दिया गया होता किन्तु स्थाई पद उपलब्ध न होने के कारण स्थाई नहीं किया जा सका और यह कि स्थाई पद उपलब्ध होते है तो उसे स्थाई कर दिया जावेगा।

2. उक्त नियम के नियम 8(7) के अनुसार ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थाई किया गया है और न ही उसके पक्ष में नियम 8(6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया अथवा उसे नियम 8(4) के अधीन सेवा से पृथक नहीं किया गया, परिवीक्षा समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्ते मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थाई तथा अर्ध-स्थाई) सेवा नियम 1960 द्वारा शासित होगी।

3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8(7) के संबंध मे ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, जिसे न तो स्थाई किया गया है और न ही उसके पक्ष में नियम 8(6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया, को परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरान्त उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के संबंध मे महालेखाकार म.प्र. द्वारा पूछें जाने पर म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने संदर्भित परिपत्र दिनांक 06.06.1979 के बिन्दु क्र. 2 मे स्पष्ट किया है कि *"(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को उक्त नियम के उपनियम (7) के अंतर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रुप से नियुक्त माना जायेगा उनको परिवीक्षाकाल मे दी गयी सेवाओं का लाभ वेतनवृद्धि की पात्रता के लिये नही*

मिलेगा। परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से ही उनकी अस्थाईरूप से नियुक्ति प्रारंभ होगी और इसके बाद 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर से उसे पहली वेतनवृद्धि की पात्रता मिलेगी।''

अतः विभाग मे नियुक्त कर्मचारियों, जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो गयी है एवं उस पद हेतु कोई विभागीय/अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त नियुक्ति आदेश मे न हो , को शासन के उपरोक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य मे वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :–उपरोक्तानुसार।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक :– 303/022/2017/502 भोपाल दिनांक :28/3/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. परियोजना संचालक, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. समस्त अतिरिक्त परियोजना संचालक, पी.आई.यू., लोक निर्माण विभाग।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, मण्डल लोक निर्माण विभाग।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री/संभागीय परियोजन यंत्री, लोक निर्माण विभाग।

सहपत्र :–उपरोक्तानुसार।

(अखिलेश अग्रवाल)
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपाल म.प्र.

विषय— मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 3-15/74/3/1, दिनांक 9-12-74 के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन करके एक नया उपनियम (7) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थाई किया गया और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण-पत्र जारी किया गया या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित नहीं किया गया, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश गवर्नमेंन्ट सर्वेन्टस (टेम्पोरेरी एण्ड क्वासी-परमानेन्ट सर्विस) रूल्स, 1960 द्वारा शासित होंगी।

2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उसके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में पाया गया कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त उपनियम (7) के अन्तर्गत अस्थाई शासकीय सेवक मानकर उसे उसकी परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतनवृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया है। महालेखाकार ने इस प्रकार के मामले में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिये अनुरोध किया कि—

(1) क्या म.प्र. सिविल सेवाएँ (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9-12-74 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर लागू होगा, जो दिनांक 9-12-74 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे किन्तु जिन्हें स्थाई नहीं किया गया और न ही सेवा से पृथक करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक करने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।

(2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अन्तर्गत अस्थाई शासकीय सेवक माने गये हैं उसके सम्बन्ध में अनुमान है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अपने न्यूनतम वेतन में अपनी अस्थाई सेवा आरम्भ करेंगे।

3. महालेखाकार द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में यह सूचित किया गया है कि—

(1) इस विभाग की दिनांक 9-12-74 की अधिसूचना प्रसारित होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया था, उनके मामलों पर उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा। ऐसे मामले उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जायेंगे। क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किये थे या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये थे।

(2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को उक्त नियम के उपनियम (7) के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थाई रूप से नियुक्त माना जायेगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतन वृद्धि की पात्रता के लिये नहीं मिलेगा। परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से ही उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति आरम्भ होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही उसे पहली वेतन वृद्धि की पात्रता मिलेगी।

4. सभी विभागों से निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें।

[म. प्र. शासन सा. प्र. विभाग डी. क्रमांक 288/636/1 (3)/79, दिनांक 6 जून, 1979]